माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझोता को अधिक महत्व दिया गया है।

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 प्रमाणित प्रति चक 4 ए बडा पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 9/6 के मुरब्बा नम्बर 3,26,27 की कुल 3.416 हैक0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से जसपाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम दर्ज 1.708 हैक0 कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं इसी चक 4 ए बडा पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 43/31 में दर्ज बंटवारा नामान्तरण संख्या 531/2016 द्वारा मुरब्बा नम्बर 26 की 0.847 हैक0 कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.424 हैक0 कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक तथा चक 2 बी बडी पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 40/17 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 2/1(0.036है0), 3/1(0.222 है0) कुल 0.258 नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.129 हैक0 कृषि भूमि वादी हरमन सिंह पुत्र जसपाल सिंह को घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 05 अप्रैल 2019 व प्रमाणित दिनांक 18 जुलाई 2019 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 चक 4 ए बडा पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 9/6 के मुरब्बा नम्बर 3, 26, 27 की कुल 3.416 हैक0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से जसपाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह के नाम दर्ज 1.708 हैक0 कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक एवं इसी चक 4 ए बडा पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 43/31 में दर्ज बंटवारा नामान्तरण संख्या 531/2016 द्वारा मुरब्बा नम्बर 26 की 0.847 हैक0 कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.424 हैक0 कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक तथा चक 2 बी बडी पटवार हल्का कोठा तह0 व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 40/17 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 2/1(0.036है0), 3/1(0.222 है0) कुल 0.258 नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.129 हैक0 कृषि भूमि का वादी हरमन सिंह पुत्र जसपाल सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 जुलाई 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर